बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

आदेश

संख्या–बि०व०से०(आ०)–04/2022 (खण्ड) /प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक–...../06/2025

श्री सुनील कुमार शरण, बि०व०से०, (सेवानिवृत) तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या–21/2022 दिनांक–28.04.2022 में प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित आरोप के संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1), (2) एवं (3) तथा नियम–19(1), (2) एवं (3) के उल्लंघन के लिए श्री शरण के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–1323 दिनांक–05.04.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री शरण के विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित पाये जाने के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(ख) के तहत उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या–4590 दिनांक–30.12.2024 द्वारा ''मूल पेंशन का 10% (प्रतिशत) कटौती'' संबंधी दण्डादेश संसूचित किया गया है।

3. उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध पुर्नविचार/पुनरीक्षण हेतु श्री सुनील कुमार शरण, बि.व.से. (सेवानिवृत) द्वारा दिनांक–31.03.2025 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। श्री शरण द्वारा समर्पित पुर्नविचार अभ्यावेदन में उनके विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड के लंबित होने का उल्लेख करते हुए संसूचित दण्ड को अनुचित बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा जाँच के क्रम में संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखे गये तथ्य को ही पुनः दोहराया गया है।

4. उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र संख्या–2324 दिनांक–10.07.2007 के अनुसार जब भी किसी पदाधिकारी/कर्मचारी पर अपराधिक कदाचारों में लिप्त होने के कारण भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम एवं भारतीय दण्ड विधान के तहत फौजदारी मुकदमा किया जाता है, तो साथ ही साथ समुचित तथ्यों पर आधारित आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की जायेगी। श्री शरण के विरूद्ध निगरानी विभाग (अन्वेषण व्यूरो) के द्वारा प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के उल्लंघन हेतु विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए स्वतंत्र जाँच की गयी है एवं उसके फलाफल के आधार पर उन्हें दण्ड संसूचित किया गया है।

उपरोक्त आलोक में श्री सुनील कुमार शरण, बि.व.से. (सेवानिवृत) द्वारा समर्पित पुर्नविचार अभ्यावेदन दिनांक–31.03.2025 में कोई नया तथ्य अंकित नहीं होने के कारण इसे अस्वीकृत किया जाता है।

5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–बि०व०से०(आ०)–04/2022 (खण्ड) 2909/प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक–09/06/2025

प्रतिलिपि :– मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/श्री सुनील कुमार शरण, मोहल्ला + पोस्ट + थाना–श्रीकृष्णापुरी, जिला–पटना, पिन कोड–800 001 (बिहार)/आई.टी. मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव